न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ।

पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 110/16

बलराम पुत्र श्री बृज लाल जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ढाबां तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नाहरांवाली पंचायत समिति, अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

2. सुभाष पुत्र श्री बलराम जाति जाट निवासी चक 3 एन एम ढांबा तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

उपस्थित : श्री तिलक राज चुघ, श्री राजवीर भादू, अधिवक्तागण निगरानीकर्ता
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2
श्री मूलाराम, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 1

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 111/16

बलराम पुत्र श्री बृज लाल जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी ढाबां तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नाहरांवाली पंचायत समिति, अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

2. लालचन्द पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट निवासी चक 3 एन एम ढांबा तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

उपस्थित : श्री तिलक राज चुघ, श्री राजवीर भादू, अधिवक्तागण निगरानीकर्ता
श्री राजेन्द्रसिंह,श्री लेखराज देशसरी, अधिवक्ता,गैरनिगरानीकर्ता सं0 2
श्री मूलाराम, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

निगरानी विरूद्व आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नाहरांवाली भूखण्ड सं0 60 साईज कुल 8880 दरगज, प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 6–8–2001 जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, को निरस्त करने के संबंध में।

आदेश दिनांक 11.02.2022

1. उपर्युक्त दोनों निगरानियॉं की विषयवस्तु एवं पक्षकार एक समान होने के कारण दोनों प्रकरणों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. **प्रकरण सं0 110/16 के सारवान तथ्य** सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के नाम से चक 3 एन एम का मु0 नं0 58 प0 सं0 64/12 के कि0 नं0 16 सालम, 20 का 0.203 है0, 21 का 0.203 है0 एवं 22 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 1.671 है0 कमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी है। मु0 नं0 58 प0 सं0 64/12 के कि0 नं0 20 के 4 बिस्वा व 21 में 4 बिस्वा रास्ता आम स्वीकृत है। इन किलो की शेष 16–16 बीघा भूमि निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कि0 नं0 20, 21 के स्वीकृत रास्ता के साथ साथ कि0 नं0 1,10,11 में भी 4–4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है। कि0 नं0 20 व 21 के स्वीकृत शुदा रास्ता में एवं निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि के कुछ अंश की भूमि का गैरनिगरानीकर्ता सं0 1 द्वारा बिना किसी विधिक औचित्य के, बिना भौतिक जॉच करवाये बृजलाल पुत्र पुरखाराम के नाम पट्टा जारी कर दिया है जो कि रास्ता आम व निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि है। बृजलाल पुत्र पुरखा राम द्वारा पट्टा के समस्त अधिकार गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 को सौंप दिये गये हैं इसलिए उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। निगरानीधीन पट्टा विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आज्ञाप्क प्रावधानों की अनदेखी कर जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व कोई जॉच नहीं की गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया गया है। रास्ता आम व किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि का किसी अन्य के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। निगरानीधीन भूखण्ड का पट्टा एकपक्षीय जारी किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन भूखण्ड सं0 59 का पट्टा जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

2. **प्रकरण सं0 111/16 के सारवान तथ्य** सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के नाम से चक 3 एन एम का मु0 नं0 58 प0 सं0 64/12 के कि0 नं0 16 सालम, 20 का 0.203 है0, 21 का 0.203 है0 एवं 22 ता 25 प्रत्येक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सालम कुल 1.671 है0 कमाण्ड कृषि भूमि खातेदारी है। मु0 नं0 58 प0 सं0 64/12 के कि0 नं0 20 के 4 बिस्वा व 21 में 4 बिस्वा रास्ता आम स्वीकृत है। इन किलो की शेष 16–16 बीघा भूमि निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कि0 नं0 20,21 के स्वीकृत रास्ता के साथ साथ कि0 नं0 1,10,11 में भी 4–4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है। कि0 नं0 20 व 21 के स्वीकृत शुदा रास्ता में एवं निगरानीकर्ता की खातेदझारी कृषि भूमि के कुछ अंश की भूमि का गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 द्वारा बिना किसी विधिक औचित्य के, बिना भैतिक जॉच करवाये बृजलाल पुत्र पुरखाराम के नाम पट्टा जारी कर दिया है जो कि रास्ता आम व निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि है। लालचन्द पुत्र पुरखा राम द्वारा पट्टा के समस्त अधिकार गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 को सौंप दिये गये हैं इसलिए उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। निगरानीधीन पट्टा विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।निगरानी पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आज्ञाप्क प्रावधानों की अनदेखी कर जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व कोई जॉच नहीं की गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया गया है। रास्ता आम व किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि का किसी अन्य के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। निगरानीधीन भूखण्ड का पट्टा एकपक्षीय जारी किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन भूखण्ड सं0 60 का पट्टा जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

उक्त दोनों निगरानियों से संबंधित ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब किया गया। कृषि भूमि के संबंध में पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत के रेकार्ड में खसरा आबादी मौजा ढाबा का मूल रजिस्टर एवं नक्शा आबादी मौजा ढाबा प्राप्त हुआ है एवं अन्य रेकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि गैरनिगरानीकर्ता सं0 1 द्वारा बिना किसी विधिक औचित्य के, बिना भौतिक जॉच करवाये बृजलाल पुत्र पुरखाराम एवं लालचन्द पुत्र पुरखाराम के नाम पट्टे सं0 59 व 60 जारी कर दिये हैं जो कि रास्ता आम व निगरानीकर्ता की खातेदारी कृषि भूमि को शामिल करते हुए जारी किये गये हैं। निगरानीधीन पट्टा विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आज्ञाप्क प्रावधानों की अनदेखी कर जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व कोई जॉच नहीं की गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया गया है। रास्ता आम व किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी कृषि भूमि का किसी अन्य के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। निगरानीधीन भूखण्ड का पट्टा एकपक्षीय जारी किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

जाकर निगरानीधीन भूखण्ड सं0 59 व 60 का पट्टा जो गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

अपने तर्को के समर्थन में मा0 राज0 उच्च न्यायालय,जोधपुर के निर्णय 4–4–17 बुधमल बनाम अति0 जिला कलक्टर एवं अन्य, एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 14194/15 लक्ष्मीनारायण वगैरा बनाम अति0 कलक्टर, हनुमानगढ व अन्य निर्णय दिनांक 11–01–18, मा0 उच्च न्यायाल, जोधपुर के निर्णय दिनांक 17–7–2007 उषा शर्मा बनाम राज्य व अन्य, एस0 बी0 सिवल रिट याचिका सं0 8887/17 घेवरचन्द वगैरा बनाम राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 11–89–17, डब्ल्यू0एल0सी0 (राज0)2000(2) पेज 1 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। दौराने बहस निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए कहा है कि निगरानीधीन आदेश विधिसम्मत् है। ग्राम पंचायत द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टे में कोई अनियमितता या विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख तथा दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया ।

जहॉ तक निगरानीकर्ता की कृषि भूमि का संबंध है, इस संबंध में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10–12–21 एवं नजरी नक्शा के अवलोकन से पाया गया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड चक 3 एन एम प0नं0 64/12 मु0 नं0 58 के कि0 नं0 1–10–11–20–21 प्रत्येक किला में 4–4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत शुदा है जो कि ग्राम चक 3 एन एम (ढाबा) की आबादी को कूपली– घड़साना मुख्य सड़क से जोड़ता है। ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नाहंरावाली द्वारा प0 सं0 64/12 (58) के कि0 नं0 1–10–11–20 में स्वीकृत शुदा रास्ता पर सी सी रोड का निर्णण हो चुका है। कि0 नं0 21 जो कि आबादी भूमि से चिपता है, में स्वीकृत शुदा रास्ता पर मौके पर सुभाषचन्द पुत्र बलराम की खाली जगह व कृष्ण लाल पुत्र सादूलाराम का मकान बना हुआ है। स्वीकृत शुदा रास्ता के कि0 नं0 21 में मौका पर मकान बने होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कि0 नं0 20 में आशिंक व कि0 नं0 21 जो कि बलराम की खातेदारी भूमि है, में उक्त सीसी रोड का निर्माण करवा दिया गया है। खातेदार बलराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में सी सी सड़क निर्माण करवाये जाने पर परिवाद माननीय लोकायुक्त महोदय को प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है। प्रश्नगत सड़क के संबंध में एक अन्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका सं0 17625/2019 विचाराधीन है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन है। मौका जॉच अनुसार प0न0 64/12 के कि0 नं0 20 में आशिंक तिकोना 74 वर्गफुट तथा कि0 नं0 21 में सड़क के घुमाव सहित कुल 180 फुट लम्बाई तथा 20 फुट सड़क की चौड़ाई में से 133 वर्ग फुट स्वीकृत शुदा रास्ते में निर्मित सड़का का तिकोना काटते हुए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कुल 3467 वर्गफुट सड़क खातेदारी भूमि में बनी हुई है। इस प्रकार कि0 नं0 20 व 21 में कुल 3467+74=3541 वर्गफुट सी सी रोड खातेदार बलराम पुत्र बृजलाल जाति जाट सा0 3 एन एम की खातेदारी भूमि में निर्मित है। पटवारी की रिपोर्ट से निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकार्ड खसरा आबादी रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि भूखण्ड सं0 59 जिसका कुल क्षेत्रफल 9240 वर्गफुट है जो बृजलाल पुत्र पुरखाराम के नाम से दर्ज है। उक्त भूखण्ड को बृजलाल पुत्र पुरखाराम ने 99–00 रू0 में सुभाषचन्द पुत्र बलराम को बेचान कर दिया था जिसका अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 6–8–2001 को प्रस्ताव सं0 2 के द्वारा किया गया है। भूखण्ड सं0 60 लालचन्द पुत्र पुरखाराम के नाम से खसरा आबादी रजिस्टर में पेज सं0 23 पर दर्ज है। नजरी नक्शा में भी कि0 नं0 21 जो कि आबादी भूमि से चिपता है तिकोना काटा हुआ है। जमाबन्दीसम्वत् 2069–2072 में भी प0नं0 64/12 मु0 नं0 58 में कि0 नं0 20 व 21 की 0.2030 कमाण्ड भूमि दर्शायी गई है। बलराम पुत्र बृजलाल के नाम चक 3 एन एम खातेदार के नाम मु0 नं0 58 की कुल 1.671 है0 नहरी कृषि भूमि अंकित की हुई है जिसकी पुष्टि निगरानी में वर्णित तथ्यों से होती है । ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 को पट्टा जारी किया गया हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के माध्यम से जो अनुतोष चाहा गया है, उसके अनुसार गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 बृजलाल के नाम से खसरा आबादी मौजा ढाबा के अहाता सं0 59 साईज कुल 9240 दरगज जो प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 6–8–2001 की रूह से गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में पट्टा का इन्द्राज किया गया है, को निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी न कर केवल खसरा आबादी रजिस्टर में नामान्तरण किया है। भूखण्ड सं0 60 के संबंध में आबादी खसरा रजिस्टर में कोई अंकन नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा भी भूखण्ड सं0 59 व 60 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किसी पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ पटवारी की मौका जॉच रिपोर्ट के अनुसार प0न0 64/12 के कि0 नं0 20 में आशिंक तिकोना 74 वर्गफुट तथा कि0 नं0 21 में सड़क के घुमाव सहित कुल 180 फुट लम्बाई तथा 20 फुट सड़क की चौड़ाई में से 133 वर्ग फुट स्वीकृत शुदा रास्ते में निर्मित सड़का का तिकोना काटते हुए कुल 3467 वर्गफुट सड़क खातेदारी भूमि में बनी हुई है। इस प्रकार कि0 नं0 20 व 21 में कुल 3467+74=3541 वर्गफुट सी सी रोड खातेदार बलराम पुत्र बृजलाल जाति जाट सा0 3 एन एम की खातेदारी भूमि में निर्मित है जो कि स्वीकृत शुदा रास्ता के कि0 नं0 21 में मौका पर मकान बने होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कि0 नं0 20 में आशिंक व कि0 नं0 21 जो कि बलराम की खातेदारी भूमि है, को शामिल करते हुए तिकोना कर दिया गया है। आबादी भूमि में कृषि भूमि को शामिल कर निगरानीधीन भूखण्ड का नामान्तरण करना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

अतः इस तथ्य की जॉच हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त दोनों निगरानीयॉ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 11/12 एन डी नांहरांवाली के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 6–8–2001 के द्वारा खसरा आबादी रजिस्टर मौजा ढाबां में किए गए निगरानीधीन नामान्तरण आदेश को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार निगरानीधीन प्लाटों का क्षेत्रफल नाप कर, कृषि भूमि को पृथक करते हुए तथा सरकारी रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए, दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07–03–22 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 11.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर
सूरतगढ़।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner